न्यायालय: अपर जिलाधिकारी

मण्डल लखनऊ, लखनऊ राज, लखनऊ पूजा कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या: 12023106902000211

वाद संख्या: 211/2023

सिटी अपार्टमेंट एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम 7B जेल रोड मार्केट, लखनऊ द्वारा ट्रस्टी अब उपनाम सिंह बनाम

राजस्व उपखण्ड राजस्व संहिता 2006 अन्तर्गत धारा 80

- अंतिम आदेश -

आदेश तिथि: 09/01/2023

उत्तरांचल धारा 80 उपधारा (2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006

राज्य अभिकरण, पालना मौजा सहसील मौजा जिला उन्नाव

निर्णय

प्रस्तुत वाद सहसीलदार पूरवा की आख्या दिनांक 09.01.2023 के अवलोकन पर अंकित किया गया सहसीलदार पूरवा ने अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि राज्य अभिकरण, पालना मौजा सहसील मौजा जिला उन्नाव की खतौनी सन् 1421 1426 के खाता सं0 02154 गाटा 5832 सिटी अपार्टमेंट एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा ट्रस्टी अब उपनाम सिंह पुत्र सिंह बनाम सिंह मौजा के राज्य अभिकरण, पालना मौजा सहसील मौजा जिला उन्नाव के नाम राजस्वीय भूमिधर अंकित है। वादी के द्वारा उक्त गाटा सं0 5832 रकबा 0.8870 भूमि को अकृषिक घोषित करने हेतु वेदन प्रस्तुत किया गया उपनाम भूमि में कृषि कार्य लगातार वादकारी व्यवसाय जिसके अन्तर्गत कुक्कुट पालन पालन का कार्य नहीं हो रहा है। उपरान्त भूमि गाटा सं0 5832 रकबा 0.8870 राज्य वाणिज्यिक प्रयोजन की है जिसमें विद्यालय भवनादि हेतु निर्माण कार्य प्रचलित है। कृषि कार्य नहीं हो रहा है। आवेदक द्वारा अपने कथन के समर्थन में पत्र प्रस्तुत किया गया है, उपलब्धित भूमि जिलोत्तरी सहसील मार्ग पर स्थित है। सहसीलदार पूरवा द्वारा उक्त भूमि पर निर्माण से सार्वजनिक जनता लोगों को सुविधा सार्वजनिक यातायात सुगमता व सुविधा पर अनिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है का भी उल्लेख किया गया है। सहसीलदार पूरवा के द्वारा आख्या दिन तक 07.01.2023 के मध्य स्थल की फोटो सहित आख्यांकन प्रपत्रों के साथ उक्त भूमि का धारा 80 उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की सम्मुति की गयी है।

मैंने पक्षकारों का उपस्थित अधिवक्ताओं का विधिवत् अवलोकन व परिशीलन किया। सहसीलदार पूरवा की तुलना उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 (2) के अन्तर्गत अपेक्षित विधिक शर्तें पूर्ण हो रही है। आवेदिका द्वारा नियमानुसार निर्धारित शुल्क मु० 27,126.00 रु० जमा कर लेखपाल सहसील की रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, तथा नियमानुसार स्थल शुल्क के रूप में मु० 27,120.00 रु० धनराशि शुल्क जमा किया गया है, जो संतोष भावाभावी है मेरी निष्ठति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

राज्य अभिकरण, पालना मौजा सहसील मौजा जिला उन्नाव की खतौनी सन् 1421 1426 के खाता सं 02154 की गाटा सं० 5832 रकबा 0. सिटी अपार्टमेंट एजुकेशनल ट्रस्ट 7B जेल रोड मार्केट, लखनऊ द्वारा ट्रस्टी अब उपनाम सिंह पुत्र सिंह बनाम सिंह नि० 7B जेल रोड मार्केट,राज अस्पतालगंज, लखनऊ की भूमि को उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 (2) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। घोषणा की तिथि से 05 वर्ष के भीतर कृषि भिन्न क्रियाकलाप प्रारम्भ कर देना या प्रारम्भ करने में असफल होना की उपधारा (2) के अधीन भार का उल्लंघन अभिप्राय

क्रमशः पेज 2 पर

प्रदान की घोषणा स्वयमेव समाप्त एवं निष्फल मानकर आदेशित। यह घोषणा केवल भू-राजस्व की दृष्टि से की जा रही है। उक्त अभिलेखों एवं मालिकाना स्वामित्व पर इसका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का उपयोग भविष्य में कृषि, ग्राम्य पर्यटन, कुक्कुट पालन, जलाशयों आदि से संबन्धित कार्यों हेतु उपयोग किया जाना है जो धारा 82 राजस्व संहिता 2006 के तहत डायवर्सिफाइड आजीविका प्रस्तुत करेगी। पंजीकरण का प्रस्तुत का कार्य की अधिसूचित एवं लागू पाये जाने पर आदेश मान्य: निर्गत माना जायेगा। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक पूरणा तथा राजस्व अभिलेखों में अंकन हेतु एक प्रति तहसीलदार पूरणा को भेजी जाये। आवश्यक कार्यवाही न्यायालय हाजिरात रखना हो।

(अनुज कुमार)
उप जिलाधिकारी पीलखुवा
अन्यथा:

[illegible]